

कृषि तथा किसान कल्याण निदेशालय, हरियाणा पंचकुला आदेश

निदेशालय के पत्र क्रमांक 2052 80/स्था0 11(1), दिनांक 24 08 2018 द्वारा नूंह (मेवात) जिले में जारी किए गए अस्थाई समायोजन के आदेशों में से श्री बलविन्द्र सिंह, कृषि विकास अधिकारी, हरिता अधीन उप मण्डल कृषि अधिकारी, हिसार के आदेश निरस्त किए जाते हैं तथा उनके स्थान पर श्री सदीप कुमार सुपुत्र श्री जिले सिंह, कृषि विकास अधिकारी, मायना अधीन उप मण्डल कृषि अधिकारी, रोहतक का हरियाणा सिविल सेवाएं (सामान्य), नियम 2016 के अध्याय 11 के भाग 89 में निहित प्रावधान के तहत 180 दिनों के लिए अस्थाई समायोजन कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, नूंह (मेवात) में किया जाता है।

दिनांक: 12 09 2018

दुष्मंता कुमार बहेरा,
निदेशक, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग,
हरियाणा, पंचकुला।

पू0 क्रमांक: 2052 80 - 2020 /स्था0 11(1), दिनांक: 12/09/18

इसकी प्रति निम्नलिखित:

1. प्रधान सचिव, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा, बण्डीगढ़
 2. उपायुक्त एवं जिला न्यायधीश, नूंह (मेवात)
- को सूचनाार्थ प्रेषित है।

M. P. S.
सहायक निदेशक (प्रशा0 11)
कृते: निदेशक कृषि तथा किसान कल्याण विभाग,
हरियाणा, पंचकुला।

पू0 क्रमांक: /स्था0 11(1), पंचकुला, दिनांक:

इसकी प्रति निम्नलिखित:

1. उप निदेशक, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हिसार, रोहतक तथा नूंह (मेवात),
2. उप मण्डल कृषि अधिकारी, हिसार तथा रोहतक
3. सम्बन्धित अधिकारी

सहायक निदेशक (प्रशा0 11)
कृते: निदेशक कृषि तथा किसान कल्याण विभाग,
हरियाणा, पंचकुला।

CC.

1. PA/DA
2. PA/ID(Admn.)
3. Programmer to E mail all concerned & to upload same on Departmental portal